रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263907
CG-DL-E-18062025-263907

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार , जून 16, 2025/ ज्येष्ठ 26, 1947
No. 157] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/ Jyaistha 26, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून , 2025

मामला सं. एडी(ओआई) – 21/2025

विषय: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा.सं. 6/24/2025-डीजीटीआर.—** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नाइट्रोटोलुइन" (पीएनटी) (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच

की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) है, जिसे सामान्यत: पैरानाइट्रोटोलुओल, 4-मिथाइलनाइट्रोबेंज़ीन, 1-मिथाइल-4-नाइट्रोबेंज़ीन पी मिथाइलनाइट्रोबेंजीन अथवा 4-नाइट्रोटोलुइन के रूप में भी जाना जाता है। उत्पाद के लिए रासायनिक सार सेवा (सीएएस) पंजीकरण संख्या 99-99-0 है।

4. विचाराधीन उत्पाद मध्यवर्तियों के विनिर्माण के लिए रसायन उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एक आधारभूत रसायन है। इन मध्यवर्तियों का ऑप्टीकल ब्राइटनर्स, कलरिंग एजेन्ट्स, फार्मास्युटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में भी प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कृषक और रबड़ रसायनों, एजो और सल्फर रंगों और कपास, ऊन, सिल्क, कागज और चमड़े के डाइस के संश्लेषण में किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 29042050 के तहत आयात किया जाता है।

6. वर्तमान जांच पर संबंधित पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर और प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य सहित) पर अपनी टिप्पणियां (यदि कोई हो) जांच शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालित होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देश से आयातित और आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशेषताएं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा माल का टैरिफ वर्गीकरण। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को नियमावली के तहत आयातित उत्पाद के 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन हेतु, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को, *प्रथम दृष्टया,* संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु समझा जाना चाहिए।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

8. आवेदन को आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में एक अन्य उत्पादक भी है – दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह कहा गया है कि आवेदक ने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

9. रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन के प्रमुख समानुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए यह नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर "घरेलू उद्योग" स्थापित करता है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मापदंड को संतुष्ट करता है।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

10. जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति की जांच अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि है।

ड. <u>कथित पाटन का आधार</u>

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने यह दावा किया है कि उनकी संबद्ध देश में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इसलिए, आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ विधिवत समायोजित, एक उचित लाभ मार्जिन सहित, उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य की संगणना करने का प्रस्ताव रखा है।

निर्यात कीमत

12. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम डेटा में रिपोर्ट किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतर्देशीय मालभाड़ा व्ययों के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो *प्रथमदृष्टया* स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए, इसके पर्याप्त *प्रथमदृष्टया* प्रमाण है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति के संबंध में *प्रथम* दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे प्रतिकूल मूल्य प्रभाव के कारण क्षति हुई है। यह भी दावा किया गया है कि घरेलू कीमतों में कथित रूप से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कथित रूप से ह्रास हुआ है। जांच की अवधि में, आवेदक ने वित्तीय हानियों, नकद हानियों तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना किया है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण उल्लेखनीय क्षति होने के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* प्रमाण हैं।

छ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

15. आवेदक द्वारा दाखिल किए गए विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के ऐसे कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में संबद्ध देश से किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. <u>प्रक्रिया</u>

16. वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

झ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किए गए अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध होने के लिए जाने जाते हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सारी संगत

जानकारी प्रस्तुत कर सके। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच के संबंध में अनुरोध कर सकता है।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें और इस जांच से संबंधित जानकारी तथा आगे की प्रक्रियाओं से अवगत होते रहें।

ञ. **समय सीमा**

22. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल_दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे मौजूदा जांच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर/ अनुरोध दाखिल करें।

24. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ट. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

25 जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

26. ऐसे अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। बिना ऐसे अंकन के प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसे सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय प्रकृति की बताया जाता है अथवा ऐसी सूचना जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उपयुक्त कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए अथवा (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो), वहां पर खाली छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसी सूचना को, ऐसी सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षिप्त किया जाना चाहिए, जिसके गोपनीय होने का दावा किया जाता है।

29. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए

पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण के साथ कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्रदान किए जाने चाहिए।

30. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदक द्वारा अनुरोधों में दावा किए गए गोपनीयता से संबंधित मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

31. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और उपयुक्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

32. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध उचित है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

33. प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा।

ठ. **<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ड. **<u>असहयोग</u>**

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

CASE No. AD (OI) - 21/2025

<u>Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Para Nitrotoluene (PNT) originating in or exported from the European Union.</u>

1. **F. No. 6/24/2025-DGTR.—** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Aarti Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation concerning

imports of Para Nitrotoluene (PNT) (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from the European Union (hereinafter referred to as the 'subject country'').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present application is Para Nitrotoluene (PNT). The product is also known as Paranitrotoluol, 4-Methylnitrobenzene, 1 -Methyl-4-nitrobezene, p-Methylnitrobenzene or 4-Nitrotoluene. The Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number for the product is 99-99-0.

4. The product under consideration is a basic chemical used in the chemical industry for the manufacturing of intermediates. These intermediates are further used in the production of optical brighteners, coloring agents, pharmaceuticals, and agrochemicals. It is used to synthesise agricultural and rubber chemicals, azo and sulphur dyes, and dyes for cotton, wool, silk, paper and leather.

5. The product under consideration is imported under the HS code 29042050.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. Like article

7. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and exported from the subject country and both are like articles. The product produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, the product produced by the applicant should be treated as 'like article' to the imported product under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. Domestic industry & standing

8. The application has been filed by Aarti Industries Limited. There is another producer in India – Deepak Nitrite Limited. As per the information available on record, it is noted that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country and is not related to any exporters in the subject country nor to any importers in India.

9. As per the information available on record, it is further noted that the production of the applicant represents a major proportion of domestic production and therefore constitutes 'domestic industry ' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Period of investigation

10. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1 January 2024 to 31 December 2024 (12 months). The injury examination period is 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

E. Basis for alleged dumping

Normal value for European Union.

11. The applicant has claimed that it does not have access to any evidence of selling price in the subject country. Therefore, applicant has determined the normal value based on the best estimates of cost of production, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The normal value methodology claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation.

Export price

12. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses.

Dumping margin

13. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above de minimis level, and is significant with respect to the product under consideration imported from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

F. Injury and causal link.

14. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The domestic industry has claimed that it has suffered injury on account of adverse price effect. It has further been claimed that the domestic prices have allegedly been depressed by the subject imports, and the price undercutting in the POI is positive. Further, in the period of investigation, the applicant is suffering financial losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

G. Initiation of anti-dumping investigation.

15. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping dug, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Procedure

16. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

I. Submission of information

17. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd11-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

18. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

19. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

21. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

J. Time limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd11-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

24. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

K. Submission of information on confidential basis.

25. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such a party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

26. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

27. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims to be confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

29. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the applicant within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. <u>Inspection of public file</u>

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

M. <u>Non-cooperation</u>

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.18 12:10:39 +05'30'